न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

उपस्थितः बद्री विशाल पाण्डेय,एच0जे0एस0

UPKS010015712026

दाण्डिक निगरानी सं0–49/2026

लालजी पुत्र टिर्रा निवासी ग्राम काकराबाद, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी।

.... निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार।
2. जितेन्द्र पुत्र फूलचन्द्र।
3. विनीता देवी पत्नी जितेन्द्र कुमार।

समस्त निवासीगण ग्राम काकराबाद, थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी।

..................................विपक्षीगण।

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता लालजी द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 81/2026 लाल जी बनाम जितेन्द्र आदि में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2026 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी ने निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भा0ना0सु0 सं0 को निरस्त कर दिया है।

2. संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी के न्यायालय में दिनांक 25.02.2026 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पड़ोस के जितेन्द्र की पत्नी दि० 06.02.2026 का समय लगभग 10 बजे सुबह उसके दरवाजे के बगल में नाली साफ कर रही थी और कचड़ा निकालकर उसके दरवाजे पर डाल रही थी। उसकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया तो उक्त विपक्षी उसकी पत्नी को गाली गलौज करने लगी और मारपीट पर आमादा हो गयी, फिर जितेन्द्र व उसकी पत्नी ने थाने पर जाकर झूठी तहरीर दिया और फिर घर आकर जितेन्द्र अपनी पत्नी के साथ उसकी पत्नी को गाली गलौज करते हुए घर के अन्दर घुसकर मारा पीटा। उसकी पत्नी को घसीटते हुए घर के बाहर ले आये और वहां पर भी लात घूसों व थप्पड़ो से मारा पीटा तथा

Digitally signed by BADRI VISHAL PANDEY
Date: 2026.07.29 10:11:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जान से मारने की धमकी दिये तथा उक्त मारपीट से उसकी पत्नी को चोटें आयी हैं। उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर पड़ी और मरणासन्न अवस्था में हो गयी तो मुल्जिमान मरा हुआ समझकर भाग गये। कुछ समय बाद गांव के किसी व्यक्ति ने सूचना देकर पुलिस बुला ली पुलिस वाले एम्बुलेन्स बुलाकर उसकी पत्नी को एम्बुलेन्स में बैठाकर जिला अस्पताल मंझनपुर ले गये और उसको गांव के परिजनों ने सूचना दिया, तब वह दिल्ली से घर आया और घटना के सम्बन्ध में सूचना दिया लेकिन थाना कोखराज की पुलिस मुल्जिमानों से दुरभि संधि करके प्रार्थी के मामले में कोई कार्यवाही न करके, थाना कोखराज की पुलिस वादी मुकदमा बनकर मु0अ0सं0–72 / 2026 धारा 115(2), 352, 351(2) बीएनएस पंजीकृत कराया है। प्रार्थी को न्याय नहीं मिला, जब प्रार्थी थाना कोखराज में तहरीर देने गया तो उल्टा प्रार्थी को धारा 170,126,135 बीएनएसएस में चालान कर दिया। जबकि प्रार्थी चिल्लाता रहा और अपना सबूत देता रहा कि वह बेगुनाह है। उसने उक्त घटना की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को दी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियोग दर्ज किये जाने व उसकी पत्नी को मारपीट से आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराये जाने हेतु थानाध्यक्ष कोखराज को आदेशित व निर्देशित करने की की याचना की गयी।

3. उक्त प्रार्थना पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी, जिस पर संबंधित थाने द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 12.03.2026 प्रेषित की गयी। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुनने तथा पुलिस द्वारा प्रेषित उक्त आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध्य अन्य प्रपत्रों के अवलोकनोपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.03.2026 पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता / प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत की गयी है।

4. निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधिक मस्तिष्क का अवलम्ब नहीं लिया और मनमाने तरीक से आदेश पारित किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करते समय प्रार्थना पत्र में मौजूद सामग्री का विधिसंगत दृष्टि से अवलोकन नहीं किया है बल्कि सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की महत्वपूर्ण स्थिति का उल्लंघन किया है, विधि स्पष्ट रूप से प्रावधानित करती है कि जिन मामलों में कोई सूचना संज्ञेय अपराध का प्रकटन करती हो उनको दर्ज करने से पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकते। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

आदेश में यह कहीं पर भी वर्णित नहीं किया गया है कि किस प्रकार से संज्ञेय मामले का प्रकटन नहीं होता है। निगरानीकर्ता ने भा0ना0सु0सं0 की धारा 173(4) के अधीन अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को पूरा किया है और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई विधिक त्रृटि नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण न्यायालय की भॉति कार्य किया है और मामले की विवेचना से विरत रहने का कार्य यह दर्शित करता है कि न्यायालय ने औचित्य का भी ध्यान नहीं रखा है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.03.2026 विधि और औचित्य की दृष्टि से दूषित है, इसलिए सर्वथा अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार कर, प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.03.2026 को अपास्त करने और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी को नवीन आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किए जाने की याचना की गयी है।

5. उक्त निगरानी में लिए गए आधारों के विरूद्ध विपक्षी सं0–2 व 3 की ओर से आपत्ति 11क प्रस्तुत कर, निगरानी में लिए गये आधारों से सामान्य ढंग से इंकार करते हुए, यह कथन किया गया है कि दिनांक 26.02.2026 को समय 10 बजे दिन में दोनों पक्ष एक दूसरे से झगड़ रहे थे। थाना हाजा के का0 आलोक मौर्य को जरिए फोन सूचना मिली कि दो पक्ष नाली के विवाद को लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे है, मौके पर पहुँच कर जांच की गयी और दोनों पक्षों के विरूद्ध दिनांक 07.02.2026 को समय 15.37 बजे रिपोर्ट मु0अ0सं0–72/2026 धारा–115(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना कोखराज में दर्ज करायी गयी तथा दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा–170,126,135 के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जो मुकदमा उपजिलाधिकारी, सिराथू के यहॉ चल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.02.2026 में यह कहा है कि आवेदक लालजी झगड़े के समय दिल्ली में था तथा धारा 173(4) के प्रार्थना पत्र में ही यह कहा है कि रिपोर्ट दर्ज कर डाक्टरी मुआयना करायी जाय, इससे यह परिलक्षित होता है कि कोई घटना नहीं हुई है, फर्जी घटना बनाकर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया है। प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत है और उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश की पुष्टि करते हुए निगरानी निरस्त की जाय।

6. मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं विपक्षी संख्या–2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया।

7. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् रूप से परिशीलन न कर विधि–विरूद्ध रूप से स्वयं में निहित शक्तियों का समुचित प्रयोग न करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है। इन्हीं आधारों पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश निरस्त करने की याचना की गयी है।

8. विद्वान् जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजरारी) एवं विपक्षी संख्या–2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि के अनुसार पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने में विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है और उक्त आदेश उचित व सही है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त की जावे।

9. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी में इस निगरानी न्यायालय को अन्तर्गत धारा–438/440 बी0एन0एस0एस0 के तहत यह देखना है कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान् अवर न्यायालय ने उक्त आदेश वैधता, शुद्धता एवं औचित्य की कसौटी में पारित किया है, अथवा नहीं?

10. प्रश्नगत आदेश 23.03.2026 के परिशीलन से स्पष्ट है कि विद्वान् अवर न्यायालय ने यह निष्कर्षित किया है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की धारा 6 में यह कथन किया है कि थाना कोखराज की पुलिस मुल्जिमानों से दुरभि संधि करके, उसके मामले में मोई कार्यवाही न करके, थाना कोखराज की पुलिस वादी मुकदमा बनकर मु0अ0सं0–72/2026 धारा–115(2), 352, 351(2) बीएनएस कराया है, इस प्रकार आवेदक के कथनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, उक्त के संबंध में कार्यालय से प्रथम सूचना रिपोर्ट आहूत की गयी, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित घटना में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, उसी घटना के संबंध में पुनः अभियोग पंजीकृत कराया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। विद्वान अवर न्यायालय ने यह भी निष्कर्षित किया है कि आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं यह कथन किया है कि वह घटना के समय दिल्ली में मौजूद था, इस प्रकार आवेदक घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह भी कहा है कि आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में अभियोजन पंजीकृत कराये जाने के साथ–साथ अपनी पत्नी को मारपीट में आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराये जाने हेतु थानाध्यक्ष कोखराज को आदेशित व निर्देशित करने की याचना की है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा विवेचना प्रचलित है, आवेदक द्वारा अपनी पत्नी

को मारपीट में आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराये जाने के सम्बन्ध में जो कथन किया गया है, विवेचना में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी ने निगरानीकर्ता/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस को निरस्त कर दिया।

11. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित घटना के संबंध में पहले ही मु0अ0सं0–72/2026 धारा–115(2), 352, 351(2) बीएनएस पंजीकृत हो चुका है तथा निगरानीकर्ता द्वारा वर्णित अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने प्रश्नगत आदेश में विस्तृत विश्लेषण किया है, अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान् मुख्य मजिस्ट्रेट ने जो आदेश पारित किया है, उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं प्रतीत हो रही है। प्रकरण की तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश समीचीन प्रतीत हो रहा है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने एवं विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.03.2026 पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.03.2026 की पुष्टि की जाती है।

कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि अवर न्यायालय की पत्रावली सहित इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक : 28.07.2026

(बद्री विशाल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 2025

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 28.07.2026

(बद्री विशाल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 2025